राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1719/2016/उदयपुर.
2. अपील संख्या – 1720/2016/उदयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जय बाबा कंस्ट्रक्शन,
438, हिरणमगरी, सेक्टर–II, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री रामकिशोर खदाव,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पंकज घीया, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/11/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त दोनों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 225 व 226/वेट/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 16.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी के कर निर्धारण अधिकारी 2014–15 व 2015–16 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया जाकर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति क्रमशः रूपये 25,68,874/– एवं रूपये 30,69,690/– को अपास्त किया है।

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2

4. हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलौच्य अवधियों के दौरान ठेकेदार के रूप में राजकीय विभागों के सड़क, पुलिया, भवन इत्यादि कार्य निष्पादित किये गये। उक्त कार्यों के पेटे व्यवहारी द्वारा ई.सी. प्राप्त की हुई थी। व्यवहारी द्वारा उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के बाहर से भी माल क्रय किया गया जिस पर कोई कर अदा नहीं किया गया, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.7.2014 एवं 9.3.2015 के अनुसार कार्य संविदा के निष्पादन में ई.सी. प्राप्त करने के उपरान्त भी राज्य के बाहर से आयातित माल पर राज्य की प्रचलित दर से कर चुकाया जाना बाध्यकारी था। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा उक्त अधिसूचनाओं का उल्लंघन किया जाने एवं देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाये जाने के कृत्य को करापवंचन का कृत्य मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज के आरोपण के अतिरिक्त वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा शास्ति के आरोपण को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी जाने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से 'सी' फॉर्म के समर्थन से माल का आयात किया गया है एवं आयातित माल पर नियमानुसार प्रवेश कर भी अदा किया गया है।

5. प्रकरण के उक्त तथ्यों के अधीन व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल की घोषणा किया जाना स्पष्ट है क्योंकि 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयातित माल का पूर्ण विवरण व्यवहारी को विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, इसी प्रकार आयातित माल पर नियमानुसार प्रवेश कर भी जमा करवाया जाना निर्विवादित है। उक्त दोनों बिन्दुओं से यह प्रमाणित हो जाता है कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बारह से आयातित माल का इंद्राज अपनी बहियात एवं लेखा—पुस्तकों में किया गया है तथा बिक्री विवरण प्रपत्रों में भी इस बाबत् अंकन किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 26 टैक्स अपडेट 01 श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी की बहियात में दर्ज संव्यवहारों पर किसी कारणवश देय कर की अदायगी नहीं की जा सकी है तो ऐसे प्रकरणों में करापवंचन के आशय में शास्ति का आरोपण अनुचित है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में हस्तगत प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल के संव्यवहारों का छिपाव (Concealment) प्रमाणित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में

लगातार.....3

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के आरोप में शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं होने से, अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की जाने से राजस्व द्वारा कर निर्धारण आदेशों को पुनर्स्थापित किये जाने सम्बन्धी दोनों अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

6. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की दोनों अपीलें अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 16.5.2016 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य